राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकःएफ 5(7) प्रा.शि./एमडीएम/आरसीडीएफ /पार्ट–II/ 231 जयपुर 25.5.18

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक/प्रारम्भिक (समस्त)

विषयः– अन्नपूर्णा दूध योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु कार्य–योजना के अनुसार कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में।

माननीया मुख्यमंत्री महोदया ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट अभिभाषण में मिड डे मील योजनान्तर्गत समस्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय /उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को सप्ताह में **तीन बार दूध पोषाहार** उपलब्ध करवाने की घोषणा की है।

अन्नपूर्णा दूध योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश विभागीय पत्र क्रमांक 175 दिनांक 22.05.2018 द्वारा एवं योजना को लागु किये जाने से पूर्व की **तैयारियों** (Preprations) एवं योजना के **शुभारम्भ** (Launching) के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश पत्र क्रमांक 177 दिनांक 23.05.2018 द्वारा भिजवाये जा चुके है। योजना का क्रियान्वयन **दिनांक 02.07.2018** से किया जायेगा।

"अन्नपूर्णा दूध योजना" छात्र–छात्राओं के पोषण से जुडी राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है इसके सफल एवं सुव्यवस्थित क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए आवश्यक कार्यों का समयबद्व (Time bound) रूप से सम्पादित करवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। जिला स्तर पर **अन्नपूर्णा दूध योजना** के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु **जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) को नोडल अधिकारी** नियुक्त किया गया है। अतः आप जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक के समन्वयन में निम्न समय सारणी (Time-Table)के अनुरूप समस्त व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करें :–

क्र. सं.	कार्य	थ्दनांक
01	जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति (डीएसएमसी) की बैठक आयोजित करवाकर योजना से सम्बन्धित दिशा–निर्देशों से अवगत करवाते हुये कार्य–योजना तैयार करना।	**30.05.2018 तक**
02	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी /नोडल प्रधानाचार्यो के साथ बैठक आयोजित कर योजना की जानकारी से अवगत कराते हुये आवश्यक निर्देश देते हुये कार्य–योजना तैयार करना।	**31.05.2018 तक**
03	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रबन्ध संचालकों के साथ बैठक कर आवश्यकता के अनुसार दूध की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्य–योजना तैयार करना।	**04.06.2018 तक**

04	आवर्ती व अनावर्ती मद की राशि का हस्तान्तरण ।	**07.06.2018 तक**
05	विद्यालयों में बर्तनों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।	**11.06.2018 तक**
06	जिला कलक्टर से समन्वय कर योजना के शुभारम्भ के लिए स्थान चयन एवं आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करना	**15.06.2018 तक**
07	ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के साथ बैठक आयोजन कर योजना की तैयारियों की समीक्षा।	**16.06.2018 तक**
07	प्रभारीमंत्री,सांसद,विद्यायक,जिला प्रमुख ,नगर निगम /निकाय प्रमुख, पार्षदगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि, प्रभारी सचिव, संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अन्य अधिकारियों को **दिनांक 02.07.2018** को आयोजित किये जाने वाले शुभारम्भ कार्यक्रम में आमंत्रण।	**20.06.2018 तक**

अतः निर्देशित किया जाता है कि **अन्नपूर्णा दूध योजना** के क्रियान्वयन के लिये जारी दिशा निर्देशों एवं उक्त समय सारणी के अनुसार समस्त कार्य सम्पादित करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(वेद सिंह)
आयुक्त
मिड डे मील

क्रमांकःएफ 5(7) प्रा.शि. /एमडीएम/आरसीडीएफ /पार्ट–II/ 231 जयपुर 25.5.18

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग,राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. जिला कलक्टर (समस्त)
3. प्रबन्ध निदेशक,राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. शिक्षा उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा समस्त संभाग।
6. प्रबन्ध संचालक, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (समस्त)
7. प्रभारी आईटी सैल कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त
क्रिया.एवं मोनि.